न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–444 सन् 2014

सीताराम गिरी.....वादी।

बनाम

मिश्री गिरी वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 02.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 05.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 मिश्री गिरी की मृत्यु दिनांक 20.11.2022 को हो गई है जिनका नाम कलमजद करना आवश्यक है तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 मिश्री गिरी का नाम कलमजद करके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 मिश्री गिरी थे जिनकी मृत्यु दिनांक 20.11.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 20.11.2022 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।